निग - 3158 - I - 16

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण कमांक /2015 जिला जबलपुर

रामनाथ गौंड आत्मज
श्री रामसेवक गौंड आदिवासी
निवासी ग्राम पिपरिया खुर्द
तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जबलपुर ---- अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 96/अ-21/2015-16.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, आवेदक के नाम पर ग्राम पिपरिया खुर्द में भूमि सर्वे नंबर 271/195 रकबा 1.38 हैक्टर, ग्राम इन्द्रा में भूमि सर्वे नं. 280 रकबा 1.62 हैक्टर, सर्वे नं. 282 रकबा 1.62 हैक्टर, सर्वे नंबर 296 रकबा 1.62 हैक्टर तथा ग्राम कल्याणपुर में भूमि खसरा नं. 18 रकबा 1.28 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 56 रकबा 0.91 हैक्टर कुल 7.56 हैक्टर भूमि स्थित है । उपरोक्त भूमि में से आवेदक द्वारा ग्राम पिपरिया खुर्द की भूमि खसरा नं. 271/195 रकबा 1.38 हैक्टर, ग्राम इन्द्रा में भूमि सर्वे नं. 280 रकबा 1.62 हैक्टर, सर्वे नं. 282 रकबा 1.62 हैक्टर, सर्वे नंबर 296 रकबा 1.62 के विकय करने की अनुमति का आवेदन कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर के समक्ष लगाया था ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3158–एक/16

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-9-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 96/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण आवेदक रामनाथ गौंड द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को जिलाध्यक्ष द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा परिवार के सदस्यों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि विकय हेतु आवेदित भूमि में से कुछ भूमि आवेदक द्वारा कय की गई हैं एवं कुछ भूमि पैत्रिक है । आवेदित भूमि शामलाती खाते की न होकर आवेदक के एकल स्वामित्व की भूमि है और विकय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि पर एक मात्र भूमिस्वामी के रूप में आवेदक का नाम अंकित है, ऐसी स्थिति में आवेदक को उक्त भूमि को विकय/अंतरित करने का पूर्ण अधिकार है । ऐसी स्थिति में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जिलाध्यक्ष द्वारा आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विकय करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने के संबंध में लिया गया यह आधार कि पारिवार के सदस्यों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में आवेदित भूमि को बैंक का कर्ज चुकाने तथा पुत्री की शादी में लिए गए कर्ज को चुकाने हेतु विकय किये जाना बताया गया है, किंतु कलेक्टर द्वारा उक्त संबंध में बिना किसी प्रकार की जांच कराये यह मानना कि आवेदक द्वारा बताया गया कारण समाधानकारक नहीं है, न्यायोचित नहीं है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यूको बैंक, शाखा बरेली द्वारा जारी नोटिस दिनांक 1–7–16 की मूल प्रति पेश की गई है जिसमें उसे 3,12,000/– + ब्याज जमा करने को कहा गया है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपनी पुत्र–पुत्रियों का सहमति पत्र भी पेश की गई है । चूंकि विकय की जा रही भूमि आवेदक द्वारा कय की गई है और संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण उसके द्वारा भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है । आवेदक द्वारा बताया गया प्रयोजन सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विकय की अनुमति दिए जाने में वैधानिक अड़चन नहीं है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात इस प्रकरण में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । परिणामतः उसे निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम पिपरिया खुर्द प.ह.नं. 51/77 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 271/195 रकबा 1.38 हैक्टर एवं ग्राम इन्द्रा प.ह.नं. 84 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3158–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	खसरा नं. 280, 282 एवं 296 रकबा कमशः 1.62, 0.75 एवं 1.62 है0 को गैर आदिवासी सदस्य श्री अरूण कुमार राय पिता स्व. श्री शोभाराम राय को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	